न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 72 / 2014

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 सतवीर उर्फ सत्यवीर आयु 57 वर्ष पुत्र स्व. रतीराम जाति जाट पेशा खेती निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 दयाराम आयु 49 वर्ष पुत्र स्व. रतीराम जाति जाट पेशा खेती निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 शीशराम आयु 40 वर्ष पुत्र स्व. रतीराम जाति जाट निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज.काश्तकारी अधि.1955
प्रथम अपील खिलाफ आदेश (निर्णय) दिनांक 03.01.14
व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.01.14 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा दावा उनवानी दयाराम बनाम सत्यवीर आदि
दावा घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा मु.नु.310 / 2012

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री संदीप काजला अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नन्दकिशोर अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–13.09.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद संख्या 310/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.01.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 146,166,167,359,361,368,372 वाके ग्राम बुडानियां तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू के सन्दर्भ में दावा बाबत घोषणा बटवारा एवं स्थाई व्यादेश पेश किया विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त कर तनकियात कायम कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय और डिक्री से वाद वादी डिक्री किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी की मौखिक साक्ष्य नही ली गई, वादी की साक्ष्य बंद करने का आदेश भी पारित नही किया गया। विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी की साक्ष्य के लिए पत्रावली नियत ही नही कि गई। तनकीयात पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। तनकीयात वाद व जवाब दावे के आधार पर नही है विचारण न्यायालय का निर्णय तनकीवार विवेचन कर पारित नही किया है विचारण न्यायालय ने बिना साक्ष्य का अवसर दिये ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

खारिज करने योग्य है। रेवन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 (2) के नियम 125,128 की पालना नही की है। सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 6,18 की भी पालना नही कि है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। जिसकी अपीलांट को जानकारी होने पर जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की है। अपील अपीलांट धारा 5 का लाभ देते हुये स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री खारिज की जाये। विद्वान अधिवक्ता अपने तथ्यों के समर्थन में आर.एल. डब्ल्यू 1997 (1) पेज 264 आर.एल डब्ल्यू 2005 (1) पेज 734 ए.आई.आर 1998(पंजाब एवं हरियाणा) पेज 197 आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1126 ए.आई.आर. (सुप्रीम कोर्ट)2007 पेज 2025 आर.एल. डब्ल्यू आर.जे. 2011(1) पेज 19 आर.आर.टी. (supp) 2009–10 पेज 603 आर.आर.टी. (supp) 2011–12 पेज 698 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की और से जरिये वकील उपस्थिति हुई है प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तामील पर्याप्त मानते हुये एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है। जिस पर तनकीयात प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तनकीयात पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नही है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री तनकीवार विवेचन पर पारित नही किया गया है। विचारण न्यायालय मे आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 05.11.2012 को तनकीयात कायम की गई है पत्रावली वास्ते सहादत वादी दिनांक 08.11.2012 को नियत की गई है। 08.11.12

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

को पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते सहादतवादी दिनांक 12.11.12 को नियत रखी गई है इसके उपरान्त 12.11.12 से 26.11.13 तक नियत तारीख पेशी पर केवल मात्र सील लगाकर तिथि दी गई है। कोई कार्यवाही इस अवधि में नही हुई है इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 24.12.2013 को सीधे प्रतिवादी को बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 30.12.2013 को नियत की है। 30.12.2013 को वास्ते अन्तिम बहस दिनांक 03.01.2014 को अंकित है। 03.01.2014 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का उक्तानुसार विवेचन करने पर स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति पेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर वाद व जवाब दावे के आधार पर पुन तनकीयात कायम करें उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार गुणागुण पर तनकीवार निर्णय पुन पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय में दिनांक 24.10.2018 को उपस्थित रहें।

निर्णय आज दिनांक 13.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/9/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर